

प्रमाणित वनाधिकारी
काशी राज्य वन प्रभाग
राजमहाराज-राजमहाराज

के. १०
उप प्रमाणित वनाधिकारी
श्रीधर
राजीव प्रमाणित वनाधिकारी

आजा श्री
एन०पी० त्रिपाठी
साधु

राजीव
प्रमाणित वनाधिकारी
राजीव वन अधिकारी

(ख) उक्त दिनांक से ऐसे किसी वन में पर्यटन की सुविधाएं करने, दान या लकड़ी के कोयले को
फूंकने व ऐसे किसी वन में वन उपज का संग्रह करने या उस पर कोई विनिर्माण प्रक्रिया
करने या उसे करने या हटाने और भवन निर्माण या पशुओं के गाल रखने या किसी अन्य
प्रयोजन के लिए किसी ऐसे वन में भूमि लेखने या साफ करने का प्रतिषेध करते हैं।

(क) इस अधिसूचना के दिनांक से उक्त भूमि पर लगे हुए समस्त वृक्षों को आविष्टत
अंतर, अब राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा - 30 के अधीन आविष्टत का प्रयोग करके-
आविष्टत किया गया है।

503-77 दिनांक 22 जून 1978 धारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित उल्लेख प्रवेश में
रूतव के दान और की सीमा खसमी से सामाजिक सरकारी वनर भूमि की समस्त पहिलियों को याद
वन पर वृक्ष लगे हो या नहीं, आरक्षित वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अधीन आविष्टत वन
राज्या-3559/(2)/बीदह - 2-503-77 टॉक सरकारी अधिसूचना संख्या 3559/बीदह - 2-

22 जून 1978 ई०
अधिसूचना

परिशिष्ट - 4.12